भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2588

16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- फसल बीमा के संबंध में कर्नाटक के किसानों की शिकायतें

2588. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में वर्ष 2024-25 और 2025-26 में किसानों की ओर से फसल बीमा दावों से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और कर्नाटक से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में बीमा कम्पनियों तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार फसल क्षति का सटीक आकलन किस प्रकार कर रही है;

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक में किसानों को प्रदान किए गए फसल बीमा का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) किसानों को समय पर और शीघ्र फसल दावों का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकांश दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर अर्थात बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर किया जाता है। तथापि, PMFBY के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्यत: (क) राज्य सरकार के सब्सिडी का हिस्सा प्रदान करने में विलंब (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/विलंब से भुगतान या दावों का कम भुगतान करना (ग) उपज डेटा में विसंगति तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि से संबंधित हैं। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के पश्चात् किया जाता है।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/ मुद्दों के समाधान के लिए समयसीमा भी निर्धारित की गई है।

(घ): PMFBY मुख्य रूप से 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर कार्यान्वित की जाती है तथा इस योजना के अंतर्गत किसानों को बहुत कम प्रीमियम पर फसलों की बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत के चरणों तक सभी गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों की समस्या से निपटने के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। इस मामले में, स्वीकार्य दावों/फसल नुकसान की गणना की जाती है और बीमा कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से बीमित किसान के खाते में सीधे भुगतान किया जाता है, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए गए प्रति इकाई क्षेत्र की उपज के आंकड़ों और योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में परिकल्पित दावा गणना सूत्र पर आधारित होता है।

तथापि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों से होने वाली नुकसान तथा चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के कारण होने वाली फसलोपरांत नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है। ऐसे मामले में नुकसान की सीमा और दावों का आकलन योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से निष्पक्ष फसल क्षति एवं नुकसान आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

i. **येस-टेक (प्रोद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली) :** यह प्रणाली उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान तैयार करने में सहायता प्राप्त करने हेतु रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान की ओर क्रमिक रूप से बढ़ने के लिए है। यह पहल खरीफ **2023** से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है**,** जिसमें उपज अनुमान का **30%** वेटेज अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। इसमें खरीफ **2024** सीज़न से सोयाबीन की फसल को शामिल किया गया है।

ii. **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)** : स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) का नेटवर्क स्थापित करने हेतु **विंड्स** की संस्थापना की गई है**,** जो ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने हेतु मौजूदा नेटवर्क से 5 गुना है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतर-संचालन और डेटा साझाकरण के साथ राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा। विंड्स न केवल येस-टेक के लिए डेटा प्रदान करता है**,** बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन**,** सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश भी करता है।

(ङ): विगत पांच वर्षों अर्थात, 2020-21 से 2024-25 तक, कर्नाटक में PMFBY के तहत कवरेज, भुगतान किए गए दावों का जिला-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(च): सरकार द्वारा इस कार्य में पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण भारत में इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं:

- सरकार द्वारा सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की प्रदायगी देना, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप

से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के एकल स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** का विकास किया गया है।

- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसमें सभी दावों का समय पर तथा पारदर्शी तरीके से निपटान सुनिश्चित करने हेतु NCIP को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग किया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से के समानुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।
- PMFBY के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, खरीफ 2024 से यदि बीमा कंपनी द्वारा दावों का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) द्वारा का स्वतः आकलित 12% जुर्माना लगाया जाता है।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समयावधि से अपनी प्रीमियम सब्सिडी में देरी करती है, तो उसे भी 12% का जुर्माना देना होगा।
- वर्ष 2025-26 से किस्त आधारित दावा भुगतान शुरू किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार लाने के लिए सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा एकत्र करना और उसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन की निगरानी करने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि अभिलेखों का एकीकरण आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।

- सरकार द्वारा किसानों और पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सदस्यों के बीच PMFBY की प्रमुख विशेषताओं का प्रसार करने के लिए राज्यों, कार्यान्वयन बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) नेटवर्क द्वारा संचालित की जा रही जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान की जाती है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2021 सीजन से सुनियोजित जागरूकता अभियान 'क्रॉप इंश्योरेंस वीक/फसल बीमा सप्ताह' शुरू किया गया है। इसके साथ ही, योजना कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों के ज्ञान वर्धन के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर 'फसल बीमा पाठशालाएं' भी आयोजित की जा रही हैं।
- सरकार द्वारा एक राष्ट्रव्यापी डोरस्टेप फसल बीमा पॉलिसी/रसीद वितरण मेगा अभियान - 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' का भी आयोजन किया गया था। PMFBY के तहत नामांकित किसानों को ग्राम पंचायत/गांव स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से फसल बीमा पॉलिसी रसीदों की हार्ड कॉपी वितरित की जाती है।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS: वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कर्नाटक में कवरेज और भुगतान किए गए दावों का जिला-वार विवरण (31 अक्टूबर, 2025 तक)

जिला	नामांकित आवेदन	बीमित क्षेत्र	बीमित राशि	किसानों से प्रीमियम एकत्रित	भुगतान किए गए दावे	लाभान्वित किसानों आवेदन
	(संख्या में)	(लाख हे. में.)	(रु. करोड़ में)			(संख्या में)
बागलकोट	2,01,427	2.30	1,382.15	42.54	295.75	97,704
बल्लारी	75,844	0.72	455.57	11.03	44.67	28,428
बेलगावी	3,28,700	2.73	1,716.61	53.55	361.22	1,45,225
बेंगलुरु ग्रामीण	41,526	0.17	96.14	2.81	10.93	16,605
बेंगलुरु शहरी	3,091	0.01	6.78	0.20	1.07	1,287
बीदर	12,94,302	8.38	3,151.56	62.90	232.26	6,08,296
चामराजनगर	77,990	0.40	155.42	3.34	15.62	27,694
चिकबलपुर	2,10,129	0.98	587.00	15.23	151.21	1,43,757
चिक्कामगलुरु	2,48,281	1.34	1,220.73	58.99	278.67	1,41,991
चित्रदुर्ग	5,81,527	6.94	3,443.35	80.15	559.91	2,48,212
दक्षिणकन्नड़	8,57,238	2.22	2,458.46	122.82	880.55	5,17,156
दावणगेरे	2,67,241	2.00	1,414.33	43.70	335.32	1,71,939
धारवाड़	8,62,748	9.05	3,990.59	114.10	534.18	4,28,555
गडग	10,81,988	13.25	5,781.39	144.39	1,119.02	7,25,367
हसन	5,09,126	2.22	970.31	28.97	186.89	2,55,647
हावेरी	14,54,731	11.01	6,186.39	147.99	1,256.37	10,82,578
कलबुर्गी	6,76,778	7.95	3,440.31	72.57	730.45	7,99,443
कोडागू	14,545	0.09	55.09	2.57	9.95	7,596
कोलार	93,469	0.45	233.68	8.78	35.66	50,272
कोप्पल	5,80,117	6.38	2,815.63	61.09	301.81	2,65,259
मंड्या	2,95,869	0.82	307.24	5.77	71.53	1,78,456
मैसूर	41,662	0.18	74.67	1.72	7.07	15,356
रायचूर	3,36,102	4.00	2,347.83	52.73	153.97	93,764
रामानगर	60,998	0.31	184.92	7.77	57.90	37,583
शिवमोगा	4,37,205	2.24	2,304.14	98.83	496.72	2,99,067
तुमकुरु	6,46,346	3.84	2,099.58	63.28	250.80	3,13,788
उडुपी	62,774	0.16	181.25	8.86	55.70	33,702
उत्तरकन्नड़	7,57,386	2.37	2,006.07	76.08	305.18	4,21,818
विजयनगर	1,81,837	1.64	909.24	18.77	219.80	1,40,485
विजयपुरा	6,54,244	9.37	5,452.65	162.54	1,015.20	3,60,493
यादगिरी	59,865	0.73	403.58	10.15	30.79	29,406
कुल	**1,29,95,086**	**104.24**	**55,832.68**	**1,584.22**	**10,006.16**	**76,86,929**

******